संख्या– 599/33–3–2015–
28/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0, लखनऊ

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2015

विषय : नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार, दूर संचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉण्डबैण्ड नेटवर्क के मध्य दिनांक 26.10.2012 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रस्तर–6.6 में यह व्यवस्था दी गई है कि "राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य उचित स्थान पर जहां नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) की आवश्यकता है, वहां स्थान एवं पावर उपलब्ध कराया जायेगा।"

हसताक्षरित समझौता ज्ञापन के क्रम में दिनांक 13.10.2014 को मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–1089/78–1–2014–81इले0/98 टीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 (प्रति संलग्न) से जारी किया गया है। जारी कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–4 में पंचायती राज विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अभिरक्षक (Custodian) के रूप में ग्राम प्रधान तथा जनपद स्तर पर समन्वयक के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को नामांकित किया जाए। इसी प्रकार बिन्दु संख्या–5 में यह निर्णय लिया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनमें एन.ओ.एफ.एन./जी.पी.ओ.एन. उपकरण के संचालन हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की भी अपेक्षा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना को सफल बनाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एन.ओ.एफ.एन./जी.पी.ओ.एन. उपकरण का अभिरक्षक (Custodian) के रूप में ग्राम प्रधान तथा जनपद स्तर पर समन्वयक के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को नामांकित किया जाता है। उक्त सुविधा हेतु प्रथमतः

ऐसे पंचायत भवनों को लिया जाएगा जिसमें सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो। पंचायत भवनों में न्यूनतम 50 वर्गफिट का स्थान 200 वॉट की विद्युत व्यवस्था सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उपलबध करायी जाएगी।

इसके अतिरिक्त भारत ब्रॉण्डबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड के कर्मचारियों को एन.ओ.एफ.एन./जी.पी.ओ.एन. उपकरण ऑपरेशन तथा मेटेनेन्श की कार्यवाही हेतु 24 घन्टे (24X7) ग्राम पंचायत भवन में आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए।

उपरोक्तानुसार आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, वहाँ ग्राम प्रधान को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था के लिए अपने स्तर से आदेश निर्गत करने का कष्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत भवनों में एक माह के भीतर विद्युत व्यवस्था करा ली जाए। यह भी स्पष्ट करना है कि पंचायत भवनों में विद्युत कनेक्शन लेने में होने वाले व्यय का वहन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा एन. ओ.एफ.एन./जी.पी.ओ.एन. उपकरण पर खर्च होने वाली विद्युत का किराया भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः उक्त आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 599 /1/33–3–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(विमल चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2014 को अपरान्ह 1:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः संलग्नानुसार।

सर्वप्रथम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना की स्थापना, प्रबन्धन तथा संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल पर्पज वेहिकल के रूप में स्थापित भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) के चीफ जनरल मैनेजर श्री एस.सी. कौशल द्वारा उत्तर प्रदेश में योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कतिपय बिन्दुओं यथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी.पी.ओ.एन. (Gigabit Passive Optical Network) उपकरण के इन्स्टालेशन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में 50 स्क्वायर फीट स्थल का आवण्टन, विद्युत कनेक्शन, जी.पी.ओ.एन. उपकरण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अभिरक्षक (Custodian) का नामांकन, एन.ओ.एफ.एन. के सम्बन्ध में राज्य स्तर से पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को औपचारिक सूचना, योजना हेतु जिला/ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वयक का नामांकन इत्यादि पर राज्य सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। बैठक में विचार-विमर्शोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

(1) भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 300 ग्राम पंचायत भवनों पर 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन हेतु ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुल पंचायत भवनों की संख्या के 40 प्रतिशत स्थानों पर मार्च 2015 तथा अवशेष 60 प्रतिशत स्थानों पर मार्च 2016 तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। निर्णय लिया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे 300 ग्राम पंचायत भवन जहॉ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराया जा चुका है, का विवरण बी.बी.एन.एल. से प्राप्त करते हुए उक्त स्थानों पर एन.ओ.एफ.एन. नेटवर्क के समुचित उपयोग हेतु कार्य-योजना तैयार की जाए।

(2) निर्णय लिया गया कि एन.ओ.एफ.एन. की स्थापना हेतु पंचायत भवन अथवा प्राथमिक स्कूलों में उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए। पंचायती राज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में कुल लगभग 52000 स्थानों में से 36000 स्थानों पर पंचायत भवन उपलब्ध हैं। बी.बी.एन.एल. को निर्देशित किया गया कि सर्वे के माध्यम से राज्य के ऐसे स्थान चिन्हित किये जाऐं जहॉ ग्राम पंचायत भवन उपलब्ध नही है तथा ऐसे स्थानों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाए ताकि उक्त नेटवर्क को प्राथमिक स्कूलों में टर्मिनेट कराने हेतु अध्ययन करते हुए बेसिक शिक्षा/पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(3) निर्णय लिया गया कि योजना की नियमित रूप से समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव-पंचायती राज द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा बी.बी.एन.एल. के साथ बैठक आयोजित की जाए।

(4) निर्णय लिया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर अभिरक्षक (Custodian) के रूप में ग्राम प्रधान तथा जनपद स्तर पर समन्वयक के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को नामांकित करते हुए एन.ओ.एफ.एन. योजना के सम्बन्ध में जिला/पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को विस्तृत शासनादेश निर्गत किया जाए।

(5) निर्णय लिया गया कि जिन स्थानों पर पंचायत भवन में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है, उनमें एन.ओ.एफ.एन. नेटवर्क/जी.पी.ओ.एन. उपकरण के संचालन हेतु विद्युत-आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा जिन स्थानों पर विद्युत कनेक्शन नही है, वहाँ पंचायती राज विभाग द्वारा कनेक्शन हेतु शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

(6) योजना की एक्जीक्यूटिंग एजेंसी बी.एस.एन.एल. के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा राइट ऑफ दे अनुमति में आ रही समस्याओं के विषय में अवगत कराया गया। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क करते हुए राइट ऑफ वे अनुमति में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-1089 /78-1-2014-81इले0/98टीसी
लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2014

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।